रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1360] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 6, 2007/कार्तिक 15, 1929
No. 1360] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 6, 2007/KARTIKA 15, 1929

IndiaCode

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2007

का.आ. 1881(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की संसद् द्वारा या उसके निमित्त प्रचालित निम्नलिखित चैनलों के नाम केबल आपरेटरों द्वारा उनकी केबल सेवाओं में पुनः पारेषण के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(i) लोक सभा टेलीविजन चैनल; और

(ii) दूरदर्शन राज्य सभा चैनल ।

2. चैनलों की ग्राह्यता और पुनः पारेषण की रीति निम्नानुसार होगी :—

(i) चैनलों के उपग्रह सिग्नल ऐसे टेलीविजन रिसीव ओनली टर्मिनल (टीवीआरओ) जो, पैराबोलिक डिश एंटीना द्वारा जिसका व्यास 12 फीट से कम नहीं होगा केबल शीर्ष सिरे पर अच्छी क्वालिटी की ग्राह्यता को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त किए जाएंगे;

(ii) मानक उपस्कर का उपयोग, अन्य उपग्रह चैनलों की तुलना में अंतिम सिरे तक के अभिदाता को चैनलों की अच्छी क्वालिटी ग्राह्यता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा;

(iii) चैनल, 450 मेगाहर्ट्ज तक गैर-प्राइम बैंड में, जहां टेलीविजन सिग्नल का वितरण सादृश प्रणाली में है, केबल नेटवर्क सेवा पर पुनःपारेषित किए जाएंगे । तथापि, डिजीटल प्रणाली में वितरण की दशा में, चैनलों को अभिदाताओं को प्रस्थापित सभी बुकों में अनिवार्य रूप से चलाए जाएंगे;

(iv) कोई भी चैनल उसी आवृत्ति पर जिसमें दूरदर्शन टेरेस्ट्रीयल चैनल उस क्षेत्र में पारेषित किए जा रहे हैं, पुनःपारेषित नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए पद "प्राइम बैंड" (चैनल 2 से 4 रेंज 47 से 68 मेगा हर्ट्ज) और बैंड III (चैनल 5 से 12, रेंज 174 से 230 मेगा हर्ट्ज) में आने वाले चैनल से संबंधित आवृत्तियां गठित करता है, और "गैर प्राइम बैंड" प्राइम बैंड के संबंध में तद्नुसार समझे जाएंगे ।

[फा. सं. 9/8/2006-बीपीएंडएल जिल्द III]

जोहरा चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2007

S.O. 1881(E).— In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 8 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby notifies the names of following channels operated by or on behalf of Parliament of India, for re-transmission by the cable operators in their cable service, namely : —

(i) Lok Sabha television channel; and

(ii) DD Rajya Sabha channel.

2. The manner of reception and re-transmission of the channels shall be as follows :—

(i) the satellite signals of the channels shall be received by Television Receive Only Terminal (TVRO) having parabolic dish antenna not less than 12 feet in diameter to ensure good quality reception at the cable headend;

(ii) standard equipment shall be used to ensure good quality reception of the channels upto tail end subscribers comparable with other satellite channels;

(iii) the channels shall be re-transmitted on the cable network service, in non-prime band upto 450MHz, where distribution of television signals is in analog mode, however, in case of distribution in digital mode, the channels shall be compulsorily carried in all the bouquets being offered to the subscribers;

(iv) none of the channels shall be re-transmitted in the same frequency band in which Doordarshan terrestrial channels are being transmitted in that area.

Explanation :—For the purposes of this notification, the expression "prime band" constitutes frequencies relating to channel falling in band I (channels 2 to 4 ranging from 47 to 68 MHz) and band III (channels 5 to 12 ranging from 174 to 230 MHz) and "non-prime band" shall be construed accordingly, in relation to "prime band".

[F. No. 9/8/2006/BP&L Vol. III]

ZOHRA CHATTERJI, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.